न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209/2024

(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/08/2026)

FORM A

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
Session Trial No.- 209 of 2024
C.I.S. No.-209/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

(निर्णय की तिथिः— 24/08/2026)

FORM A

सूचक	राज्य द्वारा सूचक — बबलू कुमार पे0—योगनारायण यादव साकिन—इसरायण बेला, टोला सिकियाही, वार्ड नं0—11, थाना— श्रीनगर, जिला— मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	गिरीश्चंद्र गिरीन्द्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	**बनाम्** 1. सुनील यादव उर्फ सुल्तान यादव, पे0—स्व0 बैजनाथ यादव 2. भुपेन्द्र यादव उर्फ बबाजी यादव, पे0—स्व0 बैजनाथ यादव 3. लक्ष्मण यादव, पे0— स्व0 बैजनाथ यादव 4. रामू यादव उर्फ कैलू यादव, पे0— स्व0 बैजनाथ यादव 5. पवन यादव, पे0— भूपेन्द्र यादव 6. छोटू कुमार, पे0— भूपेन्द्र यादव 7. चंदन कुमार, पे0— अनमोल यादव 8. महानंद यादव, पे0—स्व0 नागो यादव 9. अनमोल यादव, पे0— स्व0 रामेश्वर यादव 10. जयकृष्ण यादव, पे0— स्व0 सत्यनारायण यादव 11. रूपेश कुमार, पे0— महानंद यादव सभी साकिन—अंडीपट्टी, थाना— श्रीनगर, जिला— मधेपुरा।
बचाव पक्ष की ओर से	श्री पवन कुमार, विद्वान अधिवक्ता

Satish Kumar
24.08.26

FORM B

अपराध की तिथि—	दिनांक— 12/03/2022
प्राथमिकी की तिथि—	दिनांक—14/03/2022
अन्तिम प्रपत्र की तिथि—	दिनांक— 16/03/2023 एवं 31/05/2023
अपराध का संज्ञान की तिथि—	दिनांक— 13/04/2023 एवं 12/01/2024
आरोप गठन की तिथि—	दिनांक— 09/07/2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक— 26/08/2025
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि—	दिनांक— 19/08/2026
निर्णय की तिथि—	दिनांक— 24/08/2026
सजा की तिथि (यदि कोई हो)	----------

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–209/2024

(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या– 32/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 24/08/2026)

–2–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा
01.	सुनील यादव उर्फ सुल्तान यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
02.	भुपेन्द्र यादव उर्फ बबाजी यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
03.	लक्ष्मण यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
04.	रामू यादव उर्फ कैलू यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
05.	पवन यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
06.	छोटू कुमार			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
07.	चंदन कुमार			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
08.	महानंद यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
09.	अनमोल यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
10.	जयकृष्ण यादव			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**
11.	रूपेश कुमार			धारा– 148, 341/149, 308/149, 504/149, 506/149 भा0द0वि0		**दोषमुक्ति**

Satish kumar
24.08.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW-1	सियाराम यादव	अशासकीय
PW-2	रामदेव यादव	अशासकीय
PW-3	राजकिशोर यादव	अशासकीय
PW-4	बबलू कुमार	सूचक
PW-5	नागमणि सिंह	अनुसंधानकर्त्ता
PW-6	डॉ0 ओमप्रकाश	डॉक्टर

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–209/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या– 32/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 24/08/2026)

–3–

बचाव साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--	कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।	----------

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण
अभियोजन

Sr. No.	Exhibit Number	Description
01.	Exhibit-P1/PW4	लिखित आवेदन
02.	Exhibit-P2/PW5	आरोप पत्र पर साक्षी नागमणि सिंह थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल का हस्ताक्षर
03.	Exhibit-P3/PW5	पूरक आरोप पत्र पर साक्षी नागमणि सिंह थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल का हस्ताक्षर
04.	Exhibit-P4/PW6	जख्म प्रतिवेदन (मनीष कुमार का)
05.	Exhibit-P5/PW5	जख्म प्रतिवेदन (बबलू कुमार का)
06.	Exhibit-P6/PW5	जख्म प्रतिवेदन (रीता का)
07.	Exhibit-P7/PW5	जख्म प्रतिवेदन (सबलू कुमार का)

Satish Kumar
24.08.26

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र वाद श्रीनगर थाना कांड सं0–32/2022 से व्युत्पन्न हुआ है जो कांड के सूचक बबलू कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. चंदन यादव 2. दिलखुश यादव 3. अनमोल यादव 4. छोटी देवी 5. बेबी कुमारी 6. भुपेन्द्र यादव 7. सुनील यादव उर्फ सुलतान यादव 8. रामू यादव उर्फ कैलू यादव 9. लक्ष्मण यादव 10. महानंद यादव 11. रूपेश कुमार यादव पे0–रामू यादव 12. अंकेश कुमार 13. रूपेश कुमार पे0 महानंद यादव 14. पवन कुमार 15. छोटू कुमार 16. जयकृष्ण यादव एवं 17. बालकृष्ण यादव के विरूद्व धारा–147, 149, 341, 323, 307, 379, 435, 504/34 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

02. **अभियोजन वाद**– अभियोजन वाद सूचक द्वारा दाखिल लिखित आवेदन पर आधारित है जिसमें सूचक ने अभियोग लगाया है कि घटना तिथि दिनांक 12.03.2022 को लगभग 07:30 बजे उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तगण तथा कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति एक राय से जान मारने

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209 / 2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32 / 2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24 / 08 / 2026)

की नियत से तेज धारदार फरसा तथा हथियार से लैस होकर सूचक के दरवाजे पर आया और सूचक के पिता योगनारायण यादव को मारने लगा। तभी अनमोल यादव बोला कि देखते क्या हो इसे गोली से जान मार दो इसी पर सूचक की माँ रीता देवी आंगन से आई तो चंदन कुमार तथा दिलखुश कुमार दोनो उठाकर अपने घर ले गया तथा बुरी नियत से देखकर जबर्दस्ती करने लगा जिसका विरोध सूचक की माँ ने किया तो चंदन यादव और दिलखुश यादव ने फरसा तथा थ्रीनट के बट से सिर पर हमला कर दिया जिससे खून निकलने लगा और सूचक की माँ बेहोश हो गई। तभी सूचक के पिताजी के भी सिर पर अनमोल यादव कुदाली चला दिया। जब सूचक वहाँ बचाने पहुँचा तो भूपेन्द्र यादव ने रामू यादव को कहा कि इसके घर का सारा सामान लूट लो। इसी बात पर रामू यादव सूचक के बक्सा में रखा 25,000 रू तथा सोने का जेवरात जिसका कीमत 70,000 रू था, ले लिया। जब सूचक का भाई विरोध किया तो महानंद यादव ने राजेश और अंकेश यादव को बोला कि इसे जिंदा मत छोड़ो नहीं तो बाद में यह नुकसान देगा। इसी बात पर अंकेश यादव ने थ्रीनट से सूचक के भाई पर फायर किया तो सूचक का भाई गिर गया। पवन और छोटू गाली गलौज करने लगा तथा जयकृष्ण यादव बोला कि पूरे परिवार को इसी घर में ताला बंद कर जला दो। इसी बात पर बालकृष्ण यादव ने कहा कि इसकी माँ की ओर बुरी नियत से देखकर जबर्दस्ती करने लगा। जब हल्ला किया तो भद्दी भद्दी गाली गलौज देने लगा। भूपेन्द्र यादव हाथ में लोहे की बंदूक लेकर लहराते हुए बोला कि इसकी सूचना कहीं दिया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।

03. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता ने प्राथमिकी अभियुक्तों 1. दिलखुश यादव 2. रूपेश कुमार यादव 3. अंकेश कुमार 4. बालकृष्ण यादव 5. छोटी देवी एवं 6. बेबी कुमारी के विरूद्व अभियुक्तिकरण गलत पाया तथा प्राथमिकी अभियुक्त 1. सुनील यादव उर्फ सुलतान यादव 2. लक्ष्मण यादव 3. भूपेन्द्र यादव उर्फ बाबाजी यादव एवं 4. पवन यादव के विरूद्व कांड सत्य पाते हुए इनके विरूद्व धारा—147, 148, 149, 341, 323, 308, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र सं0—06 / 23 दिनांक 16.03.23 समर्पित किया तथा शेष प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा।

पुनः दिनांक 31.05.2023 को अभियुक्त 1. चंदन यादव 2. अनमोल यादव 3. रामू यादव उर्फ कैलू यादव 4. महानंद यादव 5. रूपेश कुमार यादव 6. छोटू कुमार एवं 7. जयकृष्ण यादव के विरूद्व धारा—147, 148, 149, 341, 323, 308, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0—22 / 23 समर्पित किया।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209 / 2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32 / 2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथि:— 24 / 08 / 2026)

04. तत्पश्चात् दिनांक 13.04.2023 को अभियुक्त 1. सुनील यादव उर्फ सुलतान यादव 2. लक्ष्मण यादव 3. भूपेन्द्र यादव उर्फ बाबाजी यादव एवं 4. पवन कुमार के विरूद्व प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय द्वारा धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 308, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा अभिलेख को विचारण हेतु विद्वान सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किय गया जिसका विचारण सत्र वाद सं0—209 / 2024 में प्रारंभ हुआ।

05. पुनः दिनांक 04.05.2024 को अभियुक्त 1. रामू यादव उर्फ कैलू यादव 2. रूपेश कुमार 3. चंदन यादव 4. महानंद यादव 5. छोटू कुमार 6 अनमोल यादव एवं 7. जयकृष्ण यादव के विरूद्व धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 308, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान ग्रहण करते हुए अभिलेख दौरा सुपुर्द किया गया जिसका विचारण सत्र वाद सं0—210 / 24 में प्रारंभ हुआ।

06. दिनांक 09.07.2024 को दोनो सत्र वाद में (सत्र वाद सं0—209 / 24 एवं सत्र वाद सं0—210 / 24 में धारा—148, 341 / 149, 308 / 149, 504 / 149, एवं 506 / 149 भा0द0वि के अंतर्गत आरोप गठन किया गया जिसे मानने से अभियुक्तों ने इनकार किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया।

07. दिनांक 16.08.2024 को सत्र वाद सं0—210 / 24 को सत्र वाद सं0—209 / 24 में समामेलित (Amalgamated) कर दिया गया और इस प्रकार सभी ग्यारह अभियुक्तों 1. सुनील यादव उर्फ सुल्तान यादव 2. भूपेन्द्र यादव उर्फ बाबाजी यादव 3. लक्ष्मण यादव 4. पवन कुमार 5. रामू यादव उर्फ कैलू यादव 6. रूपेश कुमार 7. चंदन यादव 8. महानंद यादव 9. छोटू कुमार 10. अनमोल यादव एवं 11. जयकृष्ण यादव का विचारण सत्र वाद सं0—209 / 24 में प्रारंभ हुआ।

08. विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरांत धारा—313 दण्ड प्र0 सं0 के अंतर्गत अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने स्वंय को निर्दोष बताया। तत्पश्चात् उभय पक्षों का बहस सुनने के बाद अभिलेख निर्णय हेतु नियत किया गया।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/08/2026)

—6—

विनिश्चय, कारण व आधार

09. **विनिर्धारण के बिंदु** :— प्रस्तुत सत्र वाद में विनिर्धारण का एकमात्र महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहो के परे साबित कर पाने में सफल हुआ है? अर्थात् क्या विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के विरूद्व धारा—148, 341/149, 308/149, 504/149, एवं 506/149 भा0द0वी0 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को अभियोजन सफलतापूर्वक साबित कर पाया है?

10. उक्त प्रश्न के विनिर्धारण हेतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन एवं विश्लेषण आवश्यक होगा ताकि सही व उचित निर्णय पर पहुँचा जा सके।

11. अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में अनुसंधाकर्त्ता एवं डॉक्टर समेत कुल छः साक्षियों का अभिसाक्ष्य कराया गया है जो इस प्रकार है — 1. सियाराम यादव 2. रामदेव यादव 3. राजकिशोर यादव 4. बबलू कुमार 5. नागमणि सिंह एवं 6. डॉ0 ओमप्रकाश।

Satish Kumar 24.08.26
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ★ मधेपुरा ★

12. **अभियोजन साक्ष्य का परिशीलन एवं विश्लेषण** :— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल छः साक्षियों में साक्षी सं0—05 नागमणि सिंह अनुसंधानकर्त्ता है जबकि साक्षी सं0—06 डॉ0 ओमप्रकाश विशेषज्ञ साक्षी हैं जिन्होने जख्मियों का इलाज कर जख्म प्रतिवेदन तैयार किया था। शेष चार साक्षी तथ्य के साक्षी हैं। इन चार साक्षियों में साक्षी सं0—01 सियाराम यादव एवं साक्षी सं0—02 रामदेव यादव ने घटना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है तथा इन्हे अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी सं0—03 राजकिशोर यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में केवल इतना कहा है कि घटना 4—5 साल पूर्व की है। घटना के संबंध में सुने कि दोनो पक्षो में मारपीट हुआ था जिससे कुछ लोग घायल हो गए थे। प्रतिपरीक्षण के पारा—04 में इस साक्षी ने कहा है कि मुदई और मुदालह लोग आपस में फरीक हैं। दोनो पक्षों में मेल हो गया है। मै अपनी नजर से मारपीट होते नहीं देखा।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/08/2026)

साक्षी संख्या—04 सूचक हैं जिसने आंशिक रूप से घटना का समर्थन किया है और प्राथमिकी में जिन अभियुक्तो के विरूद्व मारपीट कर जख्मी करने का विशिष्ट अभियोग लगाया उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में साक्षी ने कहा है कि घटना 14.03.2022 की है। समय शाम के सात बजे की है। मेरे चाचा अनमोल यादव से जमीनी विवाद का मामला है। उसी कम में लडाई झगड़ा हुआ जिसमें मेरे माता—पिता और भाई को चोट लगा। बाबाजी यादव, सुल्तान यादव, लक्ष्मण यादव एवं पवन यावद ने सभी मिलकर मारा। मेरी माँ—रिता देवी को सिर पर चोट लगा तथा पिताजी को ललाट के नीचे चोट लगा। भाई को भी सिर पर चोट लगा। लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर है। आवेदक को मै पहचानता हूँ। Ex-P-1/PW4 पर अंकित है। आगे साक्षी का कथन है कि मै घटना के संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। घटना के समय मै गाँव में नहीं था। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पारा—02 में सूचक साक्षी का कथन है कि इसी घटना के विवाद को लेकर मुदालह एवं अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा किया था जो मेल के आधार पर केस समाप्त हो गया। इस मुकदमा में भी मैने मेल आवेदन दिया है जिसपर मेरा तथा अन्य जख्मियों का हस्ताक्षर है। सभी अभियुक्त अलग अलग एक एक करके आये एक जगह पाँच आदमी एकत्रित नहीं हुए और धक्का मुक्की करके चले गये। भीड़ के कारण मै नहीं बता सकता कि कैसे चोट लगी या किसने चोट पहुँचाई।

इस प्रकार तथ्य के किसी भी साक्षी ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है। ऐसे में अनुसंधानकर्त्ता एवं विशेषज्ञ साक्षी के अभिसाक्ष्य का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। विशेषज्ञ साक्षी का साक्ष्य केवल संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में विचार में लिया जाता है।

Satish Kumar
24.08.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मधेपुरा

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—209/2024
(व्युत्पन्न श्रीनगर थाना कांड संख्या— 32/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 24/08/2026)

—8—

आदेश

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन एवं विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों 1. सुनील यादव उर्फ सुल्तान यादव 2. भूपेन्द्र यादव उर्फ बाबाजी यादव 3. लक्ष्मण यादव 4. रामू यादव उर्फ कैलू यादव 5. पवन कुमार 6. छोटू कुमार 7. चंदन कुमार 8. महानंद यादव 9. अनमोल यादव 10. जयकृष्ण यादव एवं 11. रूपेश कुमार को इनके विरूद्व धारा—148, 341/149, 308/149, 504/149, एवं 506/149 भा0द0वि0 के अंतर्गत लगाये गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। सभी ग्यारह अभियुक्तों की हाजिरी दी गई है तथा निर्णय सबके समक्ष खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। चूँकि सभी अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, अतः इनके जमानतदारों को जमानत के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय आवश्यक अनुपालन के पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय की प्रति राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJGD) पर अपलोड करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Satish Kumar
24.08.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 24/08/2026

मुद्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा सत्यमेव जयते

Satish Kumar
24.08.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 24/08/2026